

पूर्व संचालित महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज की सूची

क्र.सं.	विवरण
1.	समिति/ट्रस्ट का पंजीयन प्रमाण पत्र समिति के विधान की प्रति।
2.	परिशिष्ट -7 में प्रबन्ध समिति की सूची(निर्वाचन तिथि सहित)
3.	प्रथम अस्थायी अनापति प्रमाण की प्रति एवं गत वर्ष जारी अनापति प्रमाण पत्र की प्रति ( यदि नवीन विषय/संकाय लिया हो तो अस्थायी अनापति प्रमाण पत्र की प्रति)।
4.	स्थायी अनापति प्रमाण पत्र की प्रति।
5.	समिति के नाम भूमि के पंजीकृत दस्तावेज पट्टा एवं परिशिष्ट -3
6.	भूमि की जमाबन्दी एवं नक्शा टेब्स
7.	सम्पूर्ण भूमि का रूपान्तरण आदेश/शुल्क की रसीद एवं परिशिष्ट-1 में शपथ पत्र
8.	भूमि का वर्गमीटर में माप का सक्षम अधिकारी(तहसीलदार अथवा वरिष्ठ अधिकारी) द्वारा जारी प्रमाण पत्र
9.	समिति का प्रस्ताव जिसमें महाविद्यालय के लिये उक्त भूमि को चिन्हित किया गया हो
10.	पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार करवाकर सक्षम अधिकारी(सार्वजनिक निर्माण विभाग(PWD) अधिकारी अथवा पंचायत समिति(JEN) द्वारा प्रमाणित भवन का नक्शा(ब्ल्यू प्रिन्ट) जिसमें खसरा नं. व पूर्ण पता लिखा हो। जिसे निरीक्षण अधिकारी द्वारा भी प्रमाणित किया गया हो
11.	भवन के पंजीकृत दस्तावेज(विक्रय पत्र/दान पत्र) अथवा पंजीकृत किरायानामा अथवा स्वयं की भूमि पर ही भवन स्थित होने का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र
12.	नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र
13.	महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक स्टाँफ की UGC द्वारा निर्धारित अहर्ता से संबंधित दस्तावेज एवं विवरण
14.	महाविद्यालय में कार्यरत अशैक्षणिक स्टाँफ का विवरण
15.	यदि स्थायी अनापति प्रमाण पत्र का प्रकरण है तो <ul style="list-style-type: none"> <li>- प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की नियुक्ति का सम्बद्धक वि.वि. से अनुमोदन आदेश अथवा प्रेषित पत्र की छायाप्रति व स्टाँफ की सूची प्रस्तुत करें</li> <li>- स्टाँफ का वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किये जाने का गत तीन माह का प्रमाण</li> <li>- स्टाँफ की भविष्य निधि(पी.एफ.) कटौती का प्रमाण</li> <li>- कॉलेज परिषद की सूची</li> </ul>
16.	यदि महाविद्यालय का महिला शिक्षा से सहशिक्षा में परिवर्तन का प्रकरण है तो 25 प्रतिशत अभिभावकों के सहमति पत्र की प्रति।
17.	मानदण्डानुसार एफ.पी.आर. की छाया प्रति(एफ.पी.आर. महाविद्यालय एवं संयुक्त निदेशक(नि.सं.) के संयुक्त नाम से होना आवश्यक है।
18.	यदि महाविद्यालय पिछड़ा/आरक्षित विधान सभा क्षेत्र में स्थित है तो सक्षम प्राधिकारी का नवीनतम प्रमाण पत्र।
19.	निरीक्षण अधिकारी से प्रमाणित नवीनतम छायाचित्र- भूमि भवन पुस्तकालय वाचनालय प्रयोगशाला कक्षा-कक्ष शौचालय एवं क्रीड़ा कक्ष खेल मैदान पेयजल।
20.	यदि महाविद्यालय का महिला शिक्षा से सहशिक्षा में परिवर्तन का प्रकरण है तो प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव की प्रति।
21.	यदि महाविद्यालय का नाम परिवर्तन का प्रकरण है तो प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव की प्रति।
22.	यदि महाविद्यालय का स्थान परिवर्तन का प्रकरण है तो प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव की प्रति एवं नवीनतम भूमि के पंजीकृत दस्तावेजों व रूपान्तरण आदेश की प्रति एवं सक्षम अधिकारी व निरीक्षण अधिकारी द्वारा नवीन भवन का प्रमाणित ब्ल्यू प्रिंट प्रस्तुत करें।
23.	यदि महाविद्यालय का प्रबन्ध अन्तरण का प्रकरण है तो परिशिष्ट-8 ,प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव की प्रति व समस्त आवश्यक दस्तावेज-भूमि भवन रूपान्तरण नवीन ब्ल्यू प्रिंट आदि।
24.	निर्धारित शुल्क की रसीद
25.	छात्र हित में चलाये जाने वाले अन्य पाठ्यक्रम यथा कम्प्यूटर विदेशी भाषा कौशल एवं आजीविका सड़क सुरक्षा योग वोकेशनल पाठ्यक्रम आदि का विवरण।
26.	यदि विधि महाविद्यालय हो तो बार कॉसिल ऑफ इण्डिया(BCI) से सम्बद्धता पत्र की प्रति।
27.	परिशिष्ट- 4
28.	भूमि एवं भवन का GOOGLE MAP
29.	भवन के छायाचित्र